I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB ROHTAK **Year (वर्ष):** 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0004 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 30/07/2019 22:22 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	218
3	IPC 1860	409
4	IPC 1860	420
5	IPC 1860	466
6	IPC 1860	467
7	IPC 1860	468
8	IPC 1860	471
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
10	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
11	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/04/2016 **Date To (दिनांक तक):** 31/03/2019

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:10 hrs **Time To (समय तक):** 00:10 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/07/2019 **Time (समय):** 19:20 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 012 **Date and Time (दिनांक और समय):** 30/07/2019 19:37 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH, 50 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): झज्जर रोहतक सोनीपत,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** सुरेश कुमार उप0पु0अधीक्षक

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1969 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	रा0चौ0ब्यूरो पंचकूला, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	रा0चौ0ब्यूरो पंचकूला, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अनिल कुमार DY DIRECTOR			1. Welfare of Sc and Bc,Department HR CHD,CHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA
2	RAJENDER SINGH SANGWAN			1. DY DIRECTOR RETD,WELFARE OF SC AND BC,DEPT HARYANA CHDCHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA
3	JITENDER SINGH ASSISTANT			1. WELFARE OF SC AND BC,DEPTT HR CHD,CHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA
4	BALINDER SINGH ASSISTANT			1. WELFARE OF SC AND BC,DEPTT HR CHD,CHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA
5	KULJEET SINGH DATA ENTRY OPERATOR			1. WELFARE OF SC AND BC,DEPTT HR CHD,CHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA
6	SUSHIL KUMAR DISTT WELFARE OFFICER			1. SONIPAT,SONIPAT,HARYANA,INDIA
7	SURENDER KUMAR CARE TAKING			1. DISTT WELFARE OFFICER,SONIPAT,SONIPAT,HARYANA,INDIA
8	RENU SISODIA			1. DISTT WELFARE OFFICER,ROHTAK,ROHTAK,HARYANA,INDIA
9	BALWAN SINGH RETD			1. DISTT WELFARE OFFICER,ROHTAK,ROHTAK,HARYANA,INDIA
10	SURENDER KUMAR			1. ACCOUNTANT CUM CLERK,DISTT WELFARE OFFICER,SONIPATSONIPAT,HARYANA,INDIA
11	ARVIND SANGWAN		CHANDI RAM	1. 459,UE-HISAR,HISAR,HARYANA,INDIA
12	NAVEEN		Father's Name: PARKASH	1. BHARAN,ROHTAK,HARYANA,INDIA
13	TEJPAL		Father's Name: TULSI RAM SHARAMA	1. KHARAK KHURD,BHIWANI,HARYANA,INDIA
14	RAHUL		Father's Name: SUBASH CHANDER	1. 667/25C,PATEL NAGAR,ROHTAK,ROHTAK,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, प्रबन्धक थाना,राज्य चैकसी ब्यूरो, रोहतक। अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (चौकसी विभाग) के यादि क्रमांक 38/08/19-3चौ0 (1) दिनांक 07.06.2019 की अनुपालना में जांच क्रमांक 07 दिनांक 10.06.2019, पंचकुला दर्ज होकर महानिदेशक राज्य चैकसी ब्युरो के पृष्ठाकंन क्रमांक 9625/I-1/SVB(H) दिनांक 13.06.2019 द्वारा पडताल हेतू थाना, राज्य चैकसी ब्यूरो पंचकुला में प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच श्री सुरेश कुमार, उप पुलिस अधिक्षक व श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक, राज्य चैकसी ब्यूरो, पंचकुला द्वारा की गई थी। जांच में मुख्य आरोप यह था कि वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में पोस्ट मैटरिक छात्रवृति स्कीम के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग के छात्रो को छात्रवृति देने के लिए जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिलो के सम्बन्धित शिक्षा संस्थानो तथा मुख्यालय पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत करके असल हकदार छात्रो को छात्रवृति न देकर उनके आधार नम्बर व खाता नम्बर बदलकर अपने जानकार लोगों के खातों में छात्रवृति की राशि डालकर सरकार की करोड़ो रूपये की राशि का गबन किया है। उपरोक्त जांच के दौरान पाया गया कि अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई 1981 मे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम चलाई गई थी। स्कीम की अन्तर्गत मैट्रिकोतर कक्षाओं में पढने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 230 से 1200 रूप्ये प्रति मास तक छात्रवृति प्रदान की जाती है तथा सभी Non-Refundable फीस दी जाती है। इसी प्रकार पिछडे वर्ग के छात्रों को 160 रूप्ये से 750 रूप्ये तक प्रति माह छात्रवृति तथा Non-Refundable फीस दी जाती है और वर्ष 2017-18 से टयूशन फीस का 25 प्रतिशत या 5,000/-रूपये से जो भी कम है, दिया जाता है। यह स्कीम वर्ष 2015 ये पहले मैन्यूअल चलाई जा रही थी। वर्ष 2015-16 मे यह स्कीम ऑन लाईन चलाई गई। जिसके लिए ट्रिगमा कम्पनी द्वारा साफटवेयर बनाया गया था जिसके साथ विभाग द्वारा अनुबंध किया गया था । वर्ष 2017 में ट्रिगमा कम्पनी का अनुबंध खत्म होने पर HKCL कम्पनी से इस कार्य के लिए अनुबंध किया गया। जिसके अनुसार छात्र को कम्पनी द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अपना यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनाकर अपना आवेदन करना होता है तथा विभाग द्वारा जारी शर्ते पूरी करनी होती है। उसके उपरान्त छात्र द्वारा अपना आवेदन सम्बन्धित संस्थान के पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद संस्थान छात्र के आवेदन की जांच करने उपरान्त जिला कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर अग्रेषित कर देते है। हरियाणा राज्य से बाहर पढने वाले छात्र अपना आवेदन पोर्टल पर भरकर जिला कल्याण अधिकारी को अग्रेषित करते है। जिला कल्याण अधिकारी सम्बन्धित संस्थानो से व राज्य से बाहर पढने वाले छात्रो से प्राप्त आवेदनों की तसदीक उपरान्त निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग को छात्रवृति मन्जूर करने के लिए अपना प्रमाण पत्र लगाकर सिफारिस ऑन लाईन भेजता है, जिस पर निदेशक कार्यालय की प्रशिक्षण शाखा द्वारा जिला कल्याण अधिकारियों से प्राप्त सिफारिस के आधार पर नोटिंग पर केस तैयार करके अतिरिक्त मुख्य सचिव से राशि की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। उसके बाद सम्बन्धित सहायक स्वीकृति अनुसार कम्पयूटर पर मैन्यूअली छात्रो की सूचि तैयार करता है, जिसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, कोर्स का नाम, संस्थान का नाम, आधार न0, बैंक खाता न0 व शैक्षणिक सत्र लिखकर शाखा के अधीक्षक व उप निदेशक के माध्यम से बिल तैयार करके डी0डी0ओ0 को पास करवाने हेतू भेजा जाता है। जिस पर डी0डी0औ0 बिल तैयार करके खजाना कार्यालय से पास करवाने उपरान्त पशिक्षण शाखा से प्राप्त एक्सल फाईल अनुसार XML फाईल तैयार करते है। XML फाईल तैयार होने उपरान्त डी0डी0औ0 के डिजिटल हस्ताक्षर करके सम्बन्धित बैंक में छात्रो के खातों में राशि ट्रान्सफर करने बारे भेज दी जाती है। जो फाईल बैंक मे भेजी जाती है, उसमें छात्र का नाम व आधार न0 तथा राशि व विभाग का खाता न0 जिससे राशि ट्रान्सफर की जानी है उस खाता का न0 भी बैंक को लिखा जाता है। बैंक द्वारा यह राशि उन खातों में ट्रान्सफर की जाती है जो खाते आधार से नवीनतम लिंक होते है। अगर कोई खाता आधार से लिंक नही होता तो उसकी राशि का बैंक ड्राफट बनाकर विभाग को भेज दिया जाता है और लिख दिया जाता है, कि राशि किस कारण सम्बन्धित खाता में नही गई। जो ड्राफट बैंक से डी0डी0ओ0 शाखा में प्राप्त होते है डी0डी0ओ0 उनका विवरण प्रशिक्षण शाखा को लिखकर भेजते है कि इन छात्रों की राशि उनके खातों में ट्रान्सफर ना होने बारे बैंक द्वारा जो त्रुटिया लगाई गई है उनको ठीक करके भेजा जाए ताकि बैंक को दौबारा XML फाईल तैयार करके भेजी जा सके और सम्बन्धित छात्र के खाता मे राशि ट्रान्सफर कराई जा सके। जिस पर प्रशिक्षण शाखा सम्बन्धित कल्याण अधिकारियों को पत्र लिखकर लगाई त्रुटिया ठीक करवाते है। जिला कल्याण अधिकारी सोनीपत द्वारा दिंनाक 13.02.2019 को 170 छात्रों की 1,71,67,800/-रूपये की व 19.02.2019 को 182 छात्रों की 1,81,42,700/-रूपये की छात्रवृति स्कीकृत करने बारे सिफारिस भेजी थी। जिस पर मुख्यालय मे नियुक्त श्री राजिन्द्र सिह सांगवान, उप निदेशक, प्रशिक्षण शाखा (अनुबंध आधार) द्वारा यह दोनो सिफारिसे मन्जूरी के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, कल्याण विभाग को दिंनाक 27.02.2019 को भेजी गई थी जहा से दिंनाक 01.03.2019 को राशि की मन्जूरी मिलने उपरान्त बिल पास करवाने के लिए डी0डी0ओ0 शाखा मे भेज दिया गया। दिंनाक 08.03.2019 को खजाना कार्यालय से 3,53,10,500/-रूपये का बिल पास करवाकर XML फाईल तैयार करके बैंक मे सम्बन्धित के खातों मे राशि डालने के लिए भेज दी। बैंक से रिस्पौन्स फाईल वापिस प्राप्त हुई जिसमे 352 छात्रों मे से केवल 7 केस ठीक पाए गए बकाया सभी के आधार नम्बर गलत पाए जाने पर निदेशक अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग, कल्याण

विभाग द्वारा जांच कराई गई। जांच में आरोप सिद् होने पर थाना सैक्टर-17, चण्डीगढ में इस सम्बन्ध में अभियोग अंकित करवाया गया। इसी प्रकार की अनियमत्ताएं अन्य जिलों में भी होने की सम्भावना को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि इस सम्बन्ध में राज्य चैकसी ब्यूरो द्वारा जांच करवाई जाए। जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चैकसी विभाग के यादि क्रमांक 38/08/19-3चौ0(1) दिंनाक 07.06.2019 अनुसार जांच करवाने के आदेश दिए । जांच के दौरान राज्य चैकसी ब्यूरो मे नियुक्त कंवर सिह व अभिषेक सनन, सिनियर प्रोग्रामरो द्वारा उपरोक्त जिला कल्याण अधिकारीयो द्वारा भेजे गए डाटा व प्रशिक्षण शाखा द्वारा तैयार की गई एक्सल फाईल, डी0डी0ओ0 द्वारा तैयार की XML फाईल व बैंक द्वारा भेजी गई जिला सोनीपत, झज्जर व रोहतक की रिस्पौन्स फाईलों का कम्पयूटर पर विशलेषण किया गया। विशलेषण के दौरान जिन-2 संस्थानों मे पढ़ रहे अनुसूचित जाति एव पिछडा वर्ग के छात्र/छात्राओ द्वारा छात्रवृति के आवेदन किया गया था उन छात्रो की सूचिया सम्बन्धित संस्थानो की मेल आई0 डी0 प्राप्त करके नोटिस के माध्यम से सम्बन्धित संस्थानों को मेल की गई और पूछा गया कि सम्बन्धित छात्र आपके संस्थानों मे पढे है या नही। जांच के दौरान जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत से संस्थानो की सूचि प्राप्त की गई, जिन्होने 129 संस्थानों की सूचि उपलब्ध करवाई। परन्तू निदेशक कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों अनुसार जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत द्वारा अग्रेषित 283 संस्थानों के 6468 छात्रो द्वारा छात्रवृति के लिए वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में आवेदन किया था। जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचि मे 52 संस्थानों की मेल आई0डी0 व पते पाए गए जिनको मेल करके सूचना मांगी गई। 231 संस्थान जो अन्य राज्यों व अन्य जिलों से सम्बन्धित थे जिनके पूरे पते व मेल आई0डी0 उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिला कल्याण अधिकारी झज्जर द्वारा 108 संस्थानों की सूचि उपलब्ध करवाई गई। परन्तू निदेशक कार्यालय से प्राप्त आंकडों अनुसार 101 संस्थानों के 1827 छात्रों द्वारा छात्रवृति के लिए वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में आवेदन किया था। जिला कल्याण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुचि में से 85 संस्थानों की मेल आई0डी0 व पते ठीक पाए गए। जिनको मेल करके मेल द्वारा सुचना मांगी गई जबकि 16 संस्थानो के पते व मेल आई0डी0 उपलब्ध नही करवाई गई जो दुसरे राज्यों से भी सम्बन्धित है। इसी प्रकार से जिला कल्याण अधिकारी रोहतक द्वारा 128 संस्थानों की सूचि उपलब्ध करवाई गई निदेशक कार्यालय से प्राप्त आंकड़ो अनुसार 150 संस्थानो के 5144 छात्रो द्वारा छात्रवृति के लिए वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19, में आवेदन किया था। जिला कल्याण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचि में से 90 संस्थानों/कालेजों की मेल आई0डी0 व पते ठीक पाए गए जिनको मेल करके मेल द्वारा सूचना मांगी गई परन्तू 66 संस्थानों के पते व मेल उपलब्ध नही करवाई गई। जिनमे 34 संस्थान/कालेज पंजाब राज्य से सम्बन्धित पाए गए है।सम्बन्धित रिकार्ड/ कम्पयूटरस का डाटा विशलेषण रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि जिला सोनीपत मे कुल 17,90,94,095/-रूपये की छात्रवृति राशि का गबन किया जाना अनुमानित है। इसके अलावा 3,14,80,580/-रूपये की छात्रवृति राशि आधार न0 मेल ना खाने के कारण बैंक से वापिस निदेशालय मे प्राप्त हुई यह मामले भी सदिग्ंध है। जिला रोहतक मे कुल 4,10,37,769/-रूपये की छात्रवृति राशि का गबन किया जाना अनुमानित है। इसके अलावा 1,47,55,961/-रूपये की छात्रवृति राशि आधार न0 मेल ना खाने के कारण बैंक से वापिस निदेशालय मे प्राप्त हुई यह मामले भी सदिग्ंध है। जिला झज्जर मे कुल 1,05,60,409/-रूपये की छात्रवृति राशि का गबन किया जाना अनुमानित है। इसके अलावा 58,21,791/-रूपये की छात्रवृति राशि आधार न0 मेल ना खाने के कारण बैंक से वापिस निदेशालय मे प्राप्त हुई यह मामले भी सदिग्ंध है।जिला सोनीपत मे वर्ष 2015-16 मे 43 शिक्षण संस्थाओ से छात्रवृति के लिए आवेदन भेजे गए जिनमे से 39 हरियाणा मे व 4 हरियाणा से बाहर के संस्थान थे। 806 छात्रो (3,13,47000/-रूपये) के आवेदन आँन लाईन माध्यम से व 80 छात्रो (37,28,217/-रूपये) के आवेदन आँफ लाईन माध्यम से भेजे गए। जोकि सदिग्ंध है। उपरोक्त मे से छात्रवृति की राशि स्वीकृति के दौरान (प्रशिक्षण शाखा स्तर पर) 373 छात्रो के आधार न0, नाम व राशि बदलकर 1,95,77,765/-रूपये का गबन किया जाना पाया गया। 19 छात्रो के आधार न0 लेखा शाखा मे बदले जाने पाए गए। कुल 452 छात्रो की 2,03,68,225/-रूपये की राशि का गबन किया जाना अनुमानित है। जिला सोनीपत मे वर्ष 2016-17 मे 184 शिक्षण संस्थाओ से छात्रवृति के लिए आवेदन भेजे गए जिनमे से 150 हरियाणा मे व 23 हरियाणा से बाहर के व 11 अन्य अज्ञात स्थान के संस्थान थे। 822 छात्रो (3,35,52050/-रूपये) के आवेदन आँन लाईन माध्यम से व 493 छात्रो (2,30,90,210/-रूपये) के आवेदन आँफ लाईन माध्यम से भेजे गए। जो कि सदिग्ंध है। उपरोक्त मे से छात्रवृति की राशि स्वीकृति के दौरान (प्रशिक्षण शाखा स्तर पर) 18 छात्रो के आधार न0, नाम व राशि बदलकर 8,49,660/-रूपये का गबन किया जाना पाया गया। 91 छात्रो के आधार न0 लेखा शाखा मे बदलकर 42,37,200/-रूपये का गबन किया जाना अनुमानित है। कुल 948 छात्रो की 4,11,73,810/-रूपये की राशि का गबन किया जाना अनुमानित है। जिला सोनीपत मे वर्ष 2017-18 मे 562 शिक्षण संस्थाओ से छात्रवृति के लिए आवेदन भेजे गए जिनमे से 48 हरियाणा मे व 162 हरियाणा से बाहर के व अन्य अज्ञात स्थान के 352 संस्थान थे। 2483 छात्रो (12,38,07,460/-रूपये) के आवेदन आँन लाईन माध्यम से भेजे गए। उपरोक्त मे से छात्रवृति की राशि स्वीकृति के दौरान (प्रशिक्षण शाखा स्तर पर) 1224 छात्रो के आधार न0, नाम व राशि बदलकर 8,40,37,250/-रूपये का गबन किया जाना पाया गया। 04 छात्रो के आधार न0 लेखा शाखा मे बदलकर 2,26,500/-रूपये का गबन किया जाना अनुमानित है। कुल 1357 छात्रो की 8,26,77,660/-रूपये की राशि का गबन किया जाना अनुमानित है। जिला सोनीपत मे वर्ष 2018-19 मे 142 शिक्षण संस्थाओ से छात्रवृति के लिए आवेदन भेजे गए जिनमे से हरियाणा के शुन्य व 113 हरियाणा से बाहर के व 29 अन्य अज्ञात स्थान के संस्थान थे। 352 छात्रो (3,53,10,500/-रूपये) के आवेदन आँन लाईन माध्यम से भेजे गए। उपरोक्त मे से छात्रवृति की राशि स्वीकृति के दौरान (प्रशिक्षण शाखा स्तर पर) 182 छात्रो के आधार न0, नाम व राशि बदलकर 1,81,42,700/-रूपये का गबन करने का प्रयास किया गया। 01 छात्र का आधार न0 लेखा शाखा मे बदलकर 42,37,200/-रूपये का गबन किया जाना अनुमानित है। कुल 182 छात्रो की 1,81,42,700/-रूपये की राशि का गबन किया जाना अनुमानित है। जिला रोहतक मे वर्ष 2015-16 मे 59 शिक्षण संस्थाओ से छात्रवृति के लिए आवेदन भेजे गए जिनमे से 16 हरियाणा मे व 02 हरियाणा से बाहर के व अन्य अज्ञात स्थान के 41 संस्थान थे। 1774 छात्रो (4,41,48,228/-रूपये) के आवेदन आँन लाईन माध्यम से व 59 छात्रो (27,23,020/-रूपये) के आवेदन आँफ लाईन माध्यम से भेजे गए। जो कि सदिग्ंध है। उपरोक्त मे से छात्रवृति की राशि स्वीकृति के दौरान (प्रशिक्षण शाखा स्तर पर) 380 छात्रो के आधार न0, नाम व राशि बदलकर 1,31,12,100/-रूपये का गबन किया जाना पाया गया। 75 छात्रो के आधार न0 लेखा शाखा मे बदलकर 30,69,240/-रूपये का गबन किया जाना अनुमानित है। कुल 414 छात्रो की 1,42,96,257/-रूपये की राशि का गबन किया जाना अनुमानित है। जिला रोहतक मे वर्ष 2016-17 मे 75 शिक्षण संस्थाओ से छात्रवृति के लिए आवेदन भेजे गए जिनमे से 35 हरियाणा मे व 19 हरियाणा से बाहर के व अन्य अज्ञात स्थान के 21 संस्थान थे। 1974 छात्रो (7,28,23,100/-रूपये) के आवेदन आँन लाईन माध्यम से व 115 छात्रो (1,20,32,100/-रूपये) के आवेदन आँफ लाईन माध्यम से भेजे गए। जो कि सदिग्ंध है। उपरोक्त मे से छात्रवृति की राशि स्वीकृति के दौरान (प्रशिक्षण शाखा स्तर पर) 105 छात्रो के आधार न0, नाम व राशि बदलकर 1,42,35,900/-रूपये का गबन किया जाना पाया गया। 126 छात्रो के आधार न0 लेखा शाखा मे बदलकर 1,56,31,560/-रूपये का गबन किया जाना अनुमानित है। कुल 205 छात्रो की 2,57,98,860/-रूपये की राशि का गबन किया जाना अनुमानित है।जिला रोहतक मे वर्ष

2017-18 मे 52 शिक्षण संस्थाओ से छात्रवृति के लिए आवेदन भेजे गए जिनमे से 23 हरियाणा मे व 06 हरियाणा से बाहर के व अन्य अज्ञात स्थान के 23 संस्थान थे। 316 छात्रो (27,97,887/-रूपये) के आवेदन आँन लाईन माध्यम से भेजे गए। उपरोक्त मे से कुल 66 छात्रो की 7,69,710/-रूपये की राशि का गबन किया जाना अनुमानित है। जिसमे उनके खाता न0 व नाम जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सूचि व जिन खातो मे राशि जमा हुई वह आपस मे मेल नही खाते। जिला झज्जर मे वर्ष 2015-16 मे 232 छात्रो (75,39,492/-रूपये) के आवेदन आँन लाईन माध्यम से व 32 छात्रो (10,09,225/-रूपये) के आवेदन आँफ लाईन माध्यम से भेजे गए। जो कि सदिग्ंध है। उपरोक्त मे से छात्रवृति की राशि स्वीकृति के दौरान (प्रशिक्षण शाखा स्तर पर) 09 छात्रो के आधार न0, नाम व राशि बदलकर 32,860/-रूपये का गबन किया जाना पाया गया। 03 छात्रो के आधार न0 लेखा शाखा मे बदलकर 1,05,220/-रूपये का गबन किया जाना अनुमानित है। कुल 27 छात्रो की 10,55,180/-रूपये की राशि का गबन किया जाना अनुमानित है। जिसमे वह मामले भी सम्मिलित है जिनके खाता न0 व नाम जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सूचि व जिन खातो मे राशि जमा हुई वह आपस मे मेल नही खाते। जिला झज्जर मे वर्ष 2016-17 मे 46 शिक्षण संस्थाओ से छात्रवृति के लिए आवेदन भेजे गए जिनमे से 17 हरियाणा मे व 11 हरियाणा से बाहर क व अन्य अज्ञात स्थान के 18 संस्थान थे। 295 छात्रो (1,44,66,420/-रूपये) के आवेदन आँन लाईन माध्यम से व 05 छात्रो (2,30,680/-रूपये) के आवेदन आँफ लाईन माध्यम से भेजे गए। जो कि सदिग्ंध है। उपरोक्त मे से छात्रवृति की राशि स्वीकृति के दौरान (प्रशिक्षण शाखा स्तर पर) 12 छात्रो के आधार न0, नाम व राशि बदलकर 13,34,080/-रूपये का गबन किया जाना पाया गया। 35 छात्रो के आधार न0 लेखा शाखा मे बदलकर 39,41,840/-रूपये का गबन किया जाना अनुमानित है। कुल 79 छात्रो की 45,80,450/-रूपये की राशि का गबन किया जाना अनुमानित है, जिसमे वह मामले भी सम्मिलित है जिनके खाता न0 व नाम जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सूचि व जिन खातो मे राशि जमा हुई वह आपस मे मेल नही खाते। जिला झज्जर मे वर्ष 2017-18 मे 45 शिक्षण संस्थाओ से छात्रवृति के लिए आवेदन भेजे गए जिनमे से 26 हरियाणा मे व अन्य अज्ञात स्थान के 19 संस्थान थे। 347 छात्रो (75,39,492/-रूपये) के आवेदन आँन लाईन माध्यम भेजे गए। उपरोक्त मे से छात्रवृति की राशि स्वीकृति के दौरान (प्रशिक्षण शाखा स्तर पर) 01 छात्रो के आधार न0, नाम व राशि बदलकर 44,500/-रूपये का गबन किया जाना पाया गया। कुल 109 छात्रो की 49,24,779/-रूपये की राशि का गबन किया जाना अनुमानित है जिसमे वह मामले भी सम्मिलित है जिनके खाता न0 व नाम जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सूचि व जिन खातो मे राशि जमा हुई वह आपस मे मेल नही खाते। पड़ताल से पाया गया कि जब पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम आँन लाईन चलाई गई तो विभाग के अधिकारियों द्वारा सुरेन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत पुत्र श्री राजपाल, वासी गांव सिवाह, जिला पानीपत को समय-2 पर जिला सोनीपत से मुख्यालय पर बुलाकर इस स्कीम में काम करवाया गया। जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा भेजी गई सिफारिसों के आधार पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, कल्याण विभाग से छात्रवृति राशि की मन्जूरी मिलने उपरान्त XML फाईल तैयार की जाती थी, जिसमें छात्रो के आधार न0 बदल दिये जाते थे। यह आधार न0 उसे अनिल कुमार, उप निदेशक व बलिन्द्र सिह, सहायक द्वारा पैन ड्राईव में उपलब्ध करवाए जाते थे। इस फर्जीवाडे में अरविन्द सांगवान पुत्र श्री चान्दी राम, निवासी मकान न0 459, अर्बन ईस्टेट-2, हिसार, नवीन खरब पुत्र श्री प्रकाश, निवासी गांव भैराण, तहसील महम, जिला रोहतक, राहुल पुत्र श्री सुभाष चन्द, निवासी मकान न0 667/25, सी0, पटेल नगर, रोहतक व तेजा निवासी गांव खरकखुर्द, जिला भिवानी के नाम भी पड़ताल के दौरान आए है। ये सभी छात्रवृति की मन्जूरी के समय अनिल कुमार व राजेन्द्र सांगवान, उप निदेशक व बिलेन्द्र सिंह, सहायक, सुरेन्द्र कुमार, लिपिक, कुलजीत, डाटा एन्ट्री आप्रेटर, जितेन्द्र, सहायक के पास आते थे। अरविन्द सांगवान, राहुल, नवीन व तेजा ने भी अपने कथनों में माना है कि वह अपने संस्थानो के छात्रों की छात्रवृति के सम्बन्ध में राजेन्द्र सिह सांगवान, उप निदेशक, अनिल कुमार, उप निदेशक, सुरेन्द्र, लेखाकार, बलिन्द्र सिंह से मिलते थे। जांच पर पाया गया कि उपरोक्त चारों व्यक्तियों का कोई संस्थान होना नही पाया गया है। इन चारों व्यक्तियो द्वारा राजिन्द्र सांगवान, अनिल कुमार उप निदेशक, बलिन्द्र सिह, सहायक व जतिन्द्र कुमार सहायक, कुलजीत सिह डाटा एन्ट्री आप्रेट्रर तथा सुरिन्द्र सिह लेखाकार कम लिपिक से मिलकर प्रशिक्षण शाखा में मैन्यूअल एक्शल फाईल तैयार करते समय छात्रों के आधार न0 बदल दिये और एक्शल फाईल बिल तैयार करने के लिए डी0डी0ओ0 शाखा में भिजवा दी। डी0डी0ओ0 द्वारा बिल बनाकर खजाना कार्यालय से बिल पास करवाने उपरान्त बैंक में भेजने के लिए XML फाईल तैयार करवाई गई जिसमे भी आधार न0 बदले जाने पाये गए है, क्योंकि छात्रों के उन खातों में राशि ट्रांसफर होनी थी, जो खाते आधार नम्बर से लिंक थे। जांच के दौरान संस्थानों/कालेजों से प्राप्त रिकार्ड/रिपोर्ट से पाया गया कि 22 अलग-2 संस्थानों मे 224 छात्रो के छात्रवृति फार्म फर्जी पाए गए है जबकि एक संस्थान के तीन छात्रों को तीन बार छात्रवृति दी गई है जबकि कोर्स दो वर्ष का था तथा इसी संस्थान के तीन छात्रों की छात्रवृति किसी अन्य खातों मे ट्रान्सफर की गई है। एक संस्थान के दो छात्रों द्वारा दुसरे वर्ष दाखिला ही नही लिया गया, जबकि इनकी छात्रवृति भी विभाग द्वारा दी गई है। दो संस्थानों में दो छात्र सामान्य वर्ग के पाये गये है जिनको भी छात्रवृति देनी पाई गई है। एक संस्थान के दो छात्र छात्रवृति का आवेदन फार्म भरने के बाद दौबारा संस्थान मे आए ही नही जिनको भी छात्रवृति मिली हुई है। जबकि सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा दाखिले से सम्बन्धित कालेजों में कोई तसदीक की जानी नहीं पाई गई। पड़ताल पर पाया गया है कि श्री सुशील कुमार, जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत दिनांक 09.08.2016 से दिनांक 22.10.2018 तक नियुक्त रहना पाया गया, जिन्होनें अपनी नियुक्ति के दौरान 37 केसों में छात्रों के केस 3974 छात्रवृति स्वीकृती के लिए मुख्यालय पर भेजे है। श्री सुरेन्द्र कुमार, कार्यवाहक जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत दिनांक 13.11.2018 से 24.04.2019 तक नियुक्त रहना पाया गया है। जिन्होंने अपनी नियुक्ति के दौरान 9 केसों में 1120 छात्रों के केस छात्रवृति स्वीकृती के लिए मुख्यालय पर भेजे है। श्री राजिन्द्र सिंह, सांगवान, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत दिनांक 14.04.2016 से 25.07.2016 तक नियुक्त रहना पाया गया है, जिन्होनें 2 केसों में 373 छात्रों की छात्रवृति के केस मुख्यालय पर भेजे गये है। श्रीमति रेणू सिसोदिया, जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक में दिनांक 14.06.2016 से दिनांक 23.03.2017 तक व झज्जर में दिनांक 15.05.2016 से दिनांक 31.08.2016 तक व दिनांक 09.08.2017 से दिनांक 27.07.2018 तक नियुक्त रहनी पाई गई है हाल में यह अधिकारी रोहतक में नियुक्त है। रोहतक में नियुक्ति के दौरान 8 केसों में 1503 छात्रों की छात्रवृति स्वीकृती हेतू तथा जिला झज्जर में नियुक्ति के दौरान 17 केसों में 624 छात्रों की छात्रवृति स्वीकृति हेतू लिए मुख्यालय पर भेजे है।श्री बलवान सिंह, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक (सेवानिवृत) दिनांक 12.10.2017 से 22.05.2018 तक नियुक्त रहना पाया गया हैं, इस अधिकारी द्वारा अपनी नियुक्ति के दौरान 15 केसों में 1692 छात्रों की छात्रवृति स्वीकृति के लिए मुख्यालय पर भेजे है। श्रीमति श्वेता शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी, झज्जर दिनांक 28.07.2018 से अब तक नियुक्त है। इस अधिकारी द्वारा अपनी नियुक्ति के दौरान 17 केसों में 256 छात्रों की छात्रवृति स्वीकृति के लिए मुख्यालय पर भेजी गई थी। श्री जयदेव सिंह, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक हाल सेवानिवृत (मृतक) रोहतक में दिनांक 24.03.2017 से दिनांक 30.04.2017 तक व झज्जर में दिनांक 01.09.2016 से दिनांक 30.04.2017 तक नियुक्त रहना पाया गया है। इस अधिकारी द्वारा अपनी रोहतक नियुक्ति के दौरान 12 केसों में 637 छात्रों की छात्रवृति तथा झज्जर में नियुक्ति के दौरान 9 केसों में 714 छात्रों

की छात्रवृति स्वीकृति के लिए मुख्यालय पर भेजी गई थी। जांच के दौरान उपरोक्त अधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर पाये कि जिन संस्थानों के छात्रों के छात्रवृति आवेदन पत्र उन द्वारा प्रमाणित करके निदेशालय पर अग्रेसित किये गये थे उनका मोबाईल नम्बर, ई-मेल आई0डी0 या अन्य सम्पर्क सूत्र क्या है, नहीं बता सके। पड़ताल पर यह भी पाया गया है कि जिन सस्थानों में फर्जी छात्र पाये गये है, उनमें से जिला सोनीपत से सम्बन्धित केस श्री सुशील कुमार, जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत, श्री सुरेन्द्र कुमार, कार्यवाहक जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत व श्री राजिन्द्र सिंह, सांगवान, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत द्वारा मंजूरी हेतू भेजे गये थे। जिला रोहतक से सम्बन्धित संस्थानों में फर्जी पाये गये छात्रों के केस श्रीमति रेणू सिसोदिया, जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक, श्री बलवान सिंह, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक (सेवानिवृत) व श्री जयदेव सिंह, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक हाल सेवानिवृत (मृतक) द्वारा मंजूरी हेतू भेजे गये थे। जिन्होनें छात्रवृति के केस भेजने से पूर्व संस्थानों में तसदीक नहीं किया कि ये छात्र इन सस्थानों में पढ़ रहे है या नहीं या वे छात्रवृति के पात्र है या नहीं। जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा स्वीकृति भेजते समय छात्रवृति के लिए पोर्टल पर प्राप्त आवदेनों से सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों की तथा छात्रों बारे पूर्ण तसदीक न करके निर्धारित प्रक्रिया न अपनाकर मुख्यालय को आन लाईन व आफ लाईन माध्यम से अग्रेषित कर दी गई। मुख्यालय द्वारा भी जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचियों में दर्शाये गये आधार नम्बरों में बदलाव करके डी0डी0ओ0 ब्रांच में बिल तैयार करने के लिए भेज दिये जाते थे। डी0डी0ओ0 द्वारा भी बिल पास करवाने उपरान्त एक्समल फाईल तैयार करते समय आधार नम्बर बदले जाने पाये गये है। उपरोक्त अनिल कुमार, उप निदेशक, राजिन्द्र सिंह सांगवान, उप निदेशक हाल सेवानिवृत, जतिन्द्र सिह, सहायक, बिलेन्द्र सिह, सहायक, कुलजीत सिह डाटा एन्ट्री आप्रेरट्रर, श्री सुशील कुमार, जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत, श्री सुरेन्द्र कुमार, कार्यवाहक जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत, श्रीमति रेणू सिसोदिया, जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक, श्री बलवान सिंह, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक (सेवानिवृत) व श्री जयदेव सिंह, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक हाल सेवानिवृत (मृतक) सुरिन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी सोनीपत, श्री अरविन्द सांगवान पुत्र श्री चान्दी राम, निवासी मकान न0 459, अर्बन अस्टेट-2 हिसार, श्री नवीन पुत्र श्री प्रकाश, निवासी गांव भैराण, जिला रोहतक, श्री तेजपाल पुत्र श्री तुलसी राम शर्मा, गांव खरकखुर्द, जिला भिवानी, श्री राहुल पुत्र श्री सुभाष चन्द, निवासी मकान न0 667/25,सी0 पटेल नगर, रोहतक ने आपराधिक षड़यन्त्र रचकर सरकार को अनुचित आर्थिक हानि पहुचाने के लिए/स्वंय को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए अपने-2 सरकारी पदों का दुरूपयोग करके रिकार्ड में आधार नम्बर बदलकर धोखाधड़ी करके पात्र छात्रों को मिलने वाली छात्रवृति की राशि लगभग 23,06,92,273/-रूपये का गबन किया गया है। इसके अतिरिक्त 5,20,58,332/-रूपये की राशि बैंक से वापिस आई वह भी सदिग्ंध है। यह आपराधिक षड़यन्त्र सोनीपत, रोहतक व झज्जर के जिला कल्याण अधिकारियों व वहां कार्यरत कर्मचारियों की मिलीभगत से किया गया है, जिसके लाभार्थी खाता धारक भी मुख्यतः उपरोक्त जिलों से ही है। अतः उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद् धारा 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0/13(2) (अपराध होने के समय प्रचलित कानून) पी0सी0 एक्ट, 1988 के तहत अभियोग अंकित करने तथा तफतीश के दौरान किसी अन्य व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाये तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिए जाने का सुझाव जांच की अन्तिम रिपोर्ट में दिया गया था । इसके अतिरिक्त जिन संस्थानों का रिकार्ड जांच के दौरान चैक नहीं किया जा सका, उन संस्थानों का रिकार्ड तफतीश के दौरान तसदीक कर लिया जाएगा, जिससे पता चल सकेगा कि किस-2 संस्थान में कितने छात्र फर्जी दिखाकर छात्रवृति राशि का गबन किया गया है। इस प्रकरण में बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका के बारे में तफतीश के दौरान देख लिया जाये।जांच की अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्युरो की टिप्पणी सहित पत्र क्रमांक 12544/रा0चौ0ब्यूरो(ह) द्वारा हरियाणा सरकार को भेजी गई। मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (चौकसी विभाग) के यादि क्रमांक 38/08/19-3चौ0 (1) दिनांक 30.07.2019 के अनुसार जांच में दोषी पाए गये अधिकारियों/कर्मचारियों/प्राईवेट व्यक्तियों के विरूद् उपरोक्त धाराओं में अभियोग दर्ज करने के आदेश महानिदेशक राज्य चैकसी ब्युरो के पृष्ठाकंन क्रमांक 12645/I-1/SVB/(H) दिनांक 30.7.19 के द्वारा प्राप्त हुए हैं। श्री जयदेव सिंह, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक हाल सेवानिवृत की मृत्यु हो चुकी है लिहाजा इसके खिलाफ कार्यवाही की कोई अवश्यकता नही है बाकी अनिल कुमार, उप निदेशक, राजिन्द्र सिंह सांगवान, उप निदेशक हाल सेवानिवृत, जतिन्द्र सिह, सहायक, बिलेन्द्र सिह, सहायक, कुलजीत सिह डाटा एन्ट्री आप्रेरट्रर, श्री सुशील कुमार, जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत, श्री सुरेन्द्र कुमार, कार्यवाहक जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत, श्रीमति रेणू सिसोदिया, जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक, श्री बलवान सिंह, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक (सेवानिवृत) व सुरिन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी सोनीपत, श्री अरविन्द सांगवान पुत्र श्री चान्दी राम, निवासी मकान न0 459, अर्बन अस्टेट-2 हिसार, श्री नवीन पुत्र श्री प्रकाश, निवासी गांव भैराण, जिला रोहतक, श्री तेजपाल पुत्र श्री तुलसी राम शर्मा, गांव खरकखुर्द, जिला भिवानी, श्री राहुल पुत्र श्री सुभाष चन्द, निवासी मकान न0 667/25,सी0 पटेल नगर, रोहतक के विरूद् धारा 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0/13(2) (अपराध होने के समय प्रचलित कानून) पी0सी0 एक्ट, 1988 के तहत अभियोग अंकित किया जाये। मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट सम्बन्धित ईलाका मजिस्ट्रेट साहिबान जिला रोहतक,सोनीपत,झज्जर व राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा के अन्य सम्बन्धित अफसरान बाला को भिजवाई जाए Sd- निरीक्षक जगत सिंह न0 84/H राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक दिनांक 30.7.2019 अज थाना- उपरोक्त आमदा तहरीर पर मुकदमा न0 4 दिनांक 30.7.2019 जेर धारा 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0/13(2) पी0सी0 एक्ट, 1988 थाना रा0चौ0 ब्यू0,रोहतक दर्ज रजिस्टर किया गया है। अपराध जिला रोहतक,सोनीपत,झज्जर तीनो जिलो से सम्बन्धित होने के कारण कम्पयूटर प्रतिया प्रथम सूचना रिपोर्ट (स्पैशल रिपोर्ट) बदस्त स्पैशल वाहक मुख्य सि0 नवीन कुमार न0 128/रोहतक बजरिया डाक/ई-मेल ईलाका मजिस्ट्रेट साहब रोहतक,झज्जर,सोनीपत व राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा के अन्य सम्बन्धित अफसरान बाला को ई-मेल/डाक द्वारा भेजी जा रही है नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हस्ब आदेश पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक आगामी अनुसंधान हेतू निरीक्षक राजपाल सिंह इंचार्ज राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा उपकेन्द्र सोनीपत को भेजी जाएगी । उपरोक्त मुकदमा थाना प्रबन्धक के कोड से निरिक्षक रमेश कुमार न0 22/G की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Raj Pal **Rank (पद):** I (Inspector)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

No. (सं.): 77HAP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Kirt Pal Singh

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No. (सं.): ips

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1969				**Is Proxitted:** Yes
2	Male	1969				**Is Proxitted:** Yes
3	Male	1979				**Is Proxitted:** Yes
4	Male	1979				**Is Proxitted:** Yes
5	Male	1979				**Is Proxitted:** Yes
6	Male	1974				**Is Proxitted:** Yes
7	Male	1979				**Is Proxitted:** Yes
8	Female	1979				**Is Proxitted:** Yes

9	Male	1979				**Is Proxitted:** Yes
10	Male	1974				**Is Proxitted:** Yes
11	Male	1979				**Is Proxitted:** Yes
12	Male	1974				**Is Proxitted:** Yes
13	Male	1979				**Is Proxitted:** Yes
14	Male	1979				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)